बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 139064 पटना, दिनांक- 18/02/2013

ग्रा.वि. 7(आं)- 14/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

विषय: मनरेगा अन्तर्गत निजी तालाबों के निर्माण हेतु विशेष अभियान के संबंध में ।

महाशय,

आप अवगत हैं कि मनरेगा के अन्तर्गत निजी भूमि पर परिसम्पतियाँ सृजित करने का प्रावधान मार्गदर्शिका में किया गया है ।

2- समीक्षा से ज्ञात है कि वर्ष 2013-14 की कार्ययोजना में व्यापक पैमाने पर निजी जमीन पर तालाब खोदने की योजनाएँ प्रस्तावित है ।

3- विभाग के स्तर पर निजी तालाब का मानक प्राक्कलन तैयार कर के सभी जिलों को प्रेषित किया जा चुका है । स्थानीय आवश्यकतानुसार इसमें यथोचित संशोधन किये जा सकते हैं । इस क्रम में मार्गदर्शिका का अनुपालन आवश्यक है ।

4- राज्य में अप्रैल, मई एवं जून माह में सामान्यत: मजदूरों को कृषि कार्य में रोजगार नहीं मिलता है इसलिए इस दौरान मनरेगा के अन्तर्गत इच्छुक परिवारों को रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है ।

5- मनरेगा अंतर्गत मौसमी व्यवहार्यता (seasonal feasibility) के अनुसार कार्य का कार्यान्वयन कराया जाना चाहिये । जल संरक्षण की योजनाओं का कार्यान्वयन मानसून के पूर्व ही कराया जाना है । इसे दृष्टिपथ रखते हुए यह आवश्यक है कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में निजी तालाब योजनाओं पर 1ली अप्रैल 2013 से कार्य प्रारम्भ किया जाए । इसके लिए निम्नवत् अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।

(क) सभी ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना में निजी तालाब की जिन योजनाओं को अनुमोदित किया गया है, उन सभी के अभिलेख खोलकर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति देकर अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायतों के पास 15 मार्च तक तैयार हो जाने चाहिए ।

(ख) इस क्रम में उनके भूमि से संबंधित सभी विवरणियों का सत्यापन भी अभियन चला कर करा लिया जाय ।

(ग) जिन निजी व्यक्तियों के जमीन पर तालाब खोदे जाने हैं, उन्हें मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप जॉब कार्डधारी होना आवश्यक है । यदि किसी का जाबकार्ड नही बना है तो उनका आवेदन प्राप्त कर जाब कार्ड विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर निर्गत कर दिया जाय ।

(घ) किसी पंचायत में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हैं तो ऐसी स्थिति में मनरेगा की मार्गदर्शिका के आधार पर उन्हें प्राथमिकता क्रम में संधारित कर प्राथमिकता सूची निर्धारित की जाए ।

(ङ) निजी व्यक्ति जिसके जमीन पर तालाब बन रहा है, वे सुविधानुसार इच्छुक जॉबकार्डधारियों को समूह में संगठित करके कार्य की मांग कर सकते हैं । उनके द्वारा की जाने वाली मांग

के आधार पर e-muster generate की जाए और इन मजदूरों के समूह को संबंधित योजना में लगाया जाए ।

(च) इन सभी कार्यों को भौतिक रूप से 31 मई तक पूर्ण करना अनिवार्य है ।

(छ) इन सब की अंतिम मापी निश्चित रूप से 7 जून तक पूर्ण हो जाय एवं 10 जून तक अभिलेख बन्द हो जाने चाहिए ।

(ज) सारी योजनाएँ MIS पर भी पूर्ण प्रविष्ट की जाए ।

(झ) साप्ताहिक तौर पर इसकी प्रगति की विशेष समीक्षा जिला कार्यक्रम समन्वयक करेंगें तथा हर पक्ष में विडियो कांफ्रेंसिंग पर राज्य स्तर से इसकी समीक्षा की जायेगी ।

(ञ) कार्यस्थल का 3 फोटो ग्राफ, कार्यान्वयन के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्णता के बाद, PTA द्वारा लेकर अनिवार्यतः website पर डाला जाय । AE/JE इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे ।

(ट) योजना पूर्ण होने पर जिस निजी व्यक्ति के जमीन पर योजना बनी है, उससे भी एक प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर ले लिया जाए एवं अभिलेख में संधारित किया जाय ।

(ठ) तालाब के किनारे बरसात के मौसम में व्यक्ति की स्वेच्छानुसार फलदार पौधे लगाने हेतु प्रेरित कराया जाय ।

6- प्रशिक्षण:-

i. जिन निजी व्यक्तियों के जमीन पर तालाब खोदे जाने की योजना ली जानी है, उन्हें कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रखंड स्तर पर 5 मार्च 2013 को प्रशिक्षित किया जाएगा ।

ii. उन्हें मनरेगा के प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा तथा इस योजना के संबंध में इस परिपत्र में निहित दिशा निर्देश से अवगत कराया जाएगा ।

7- अनुश्रवण एवं मुल्यांकन

योजना के सघन अनुश्रवण हेतु MIS में प्रविष्टि निजी जमीन पर कार्यों की श्रेणी में की जाय । साथ हीं मासिक प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में भी प्राप्त किया जाय एवं विभाग को जिले का समेकित प्रतिवेदन भेजा जाय:-

प्रपत्र

जिला का नाम: प्रखंड का नाम:

क्र. सं.	पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत द्वारा श्रेणीवार अनुमोदित एवं कार्यान्वित किये गये निजी तालाब के कार्य					
		अनु0 जाति		अनु0 ज0 जा0		भू0 सू0 लाभार्थी	
		अनुमोदित	कार्यान्वित	अनुमोदित	कार्यान्वित	अनुमोदित	कार्यान्वित
1	2	3	4	5	6	7	8

ग्राम पंचायत द्वारा श्रेणीवार अनुमोदित एवं कार्यान्वित किये गये निजी तालाब के कार्य							
भूमि सुधार के लाभार्थी		इंदिरा आवास के लाभार्ती		लघु/ सिमांत कृषक		कुल	
अनुमोदित	कार्यान्वित	अनुमोदित	कार्यान्वित	अनुमोदित	कार्यान्वित	अनुमोदित	कार्यान्वित
9	10	11	12	13	14	15	16

8- कृपया इसका अनुपालन दृढता से सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

14.2.13

(अमृत लाल मीणा)

सचिव